Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

नगरीय विवाहित महिलाओं के विरूद्ध पारिवारिक हिंसा : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. पूजा तिवारी*

* सह प्राध्यापक एवम विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रत्येक समाज चाहे वह कितना ही सभ्य कहलाने लगे ,परन्तु अपराध एवम हिंसा का अस्तित्व किसी न किसी रूप में वह अवश्य होता है ,किसी भी समाज की सामाजिक संस्थओं में परिवार नामक संस्था का विशेष महत्व है ,जब परिवार की परिधि में पुरूष महिलाओं के प्रति असामाजिक और कानून विरोधी व्यवहार करता है तो उसे 'दुर्व्यवहार' कहा जाता है ,किन्तु जब यह दुर्व्यवहार बढ़ जाता है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है।भारतीय समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और इस परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव सामाजिक संस्थाओं पर पीडीए है ,महिलाओं के विरूद्ध पारिवारिक हिंसा एक गंभीर समस्या है ,घरेलू हिंसा कानून 2005 पारित एवम लागू होने के बाद भी पारिवारिक हिंसा के प्रकरणों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है पति–पत्नी में तनाव की स्थिति का खामियाजा पत्नी को महंगा पड़ता हैं और यह स्थिति घरेलू हिंसा को जन्म देती है ,पारिवारिक हिंसा को परिवार का निजी मामला मानते हुए लगभग पूर्ण रूपेण छिपा कर रखा जाता रहा है किन्तु महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार होने एवम शिक्षा के कारण एवम महिलाओं के सहस के कारण पारिवारिक हिंसा के मामले बाहर तक आ रहें हैं जिससे पता लगता है की यह हिंसा बहुत व्यापक है ,पारिवारिक हिंसा महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा का प्रमुख रूप है।

शब्द कुंजी – महिला, हिंसा, नगरीय, घरेलू , उत्पीडन।

प्रस्तावना – पारिवारिक हिंसा से आशय एक परिवार के सदस्य या सदस्यों द्वारा परिवार के ही किसी सदस्य के विरूद्ध हिंसात्मक व्यवहार करना या उसे शारिरिक, मानसिक कष्ट पहुचाना है, यह हिंसा धमकी, भयभीत करना, गली देना, लात घूंसों से पिटाई करना उत्पीडन करना, प्रताड़ित करना, जबरदस्ती यौन सम्बन्ध बनाना, हत्या करना या हत्या की कोशिश करना किसी भी रूप में संभव हैं यह अक्सर महिलाओं के विरूद्ध ही की जाती है।

शोध प्रारूप – प्रस्तुत शोध पात्र में छिन्दवाड़ा नगर के कुल 50 नगरीय विवाहित महिला सुचना दात्रियों के साक्षात्कार,अनौपचारिक बातचीत, अनुसूची द्वारा प्राथमिक आकड़ों का का संकलन करके व्याख्यात्मक शोध अभिकल्प अपना कर विश्लेषण करने का प्रयास किया गया हैं, अन्य स्रोत के अंतर्गत विभिन्न पुस्तकें, लेख, समाचार पात्र, इन्टरनेट को रखा गया है।

उद्देश्य:

1. नगरीय विवाहित महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी ज्ञात करना।
2. हिंसा के स्वरूपों की जानकारी लेना।
3. परिवार के अन्य सदस्यों के द्रष्टिकोण को जानना।
4. पारिवारिक हिंसा के कारणों को जानना और हिंसा रोकने में सहायक बिन्दुओं पर विचार करना।

तालिका 1 (अगले पृष्ठ पर देखे)

तालिका 1 से स्पष्ट होता है की नगरीय विवाहित महिलाओं में 82 प्रतिशत महिलाएं किसी न किसी प्रकार से पारिवारिक हिंसा का सामना करती हैं जबकि 18 प्रतिशत महिलाये इससे मुक्त हैं।यदि आर्थिक वर्ग की बात करें तो निम्न वर्ग की महिलाएं सर्वाधिक हिंसा से पीड़ित हैं अर्थात हिंसा का मूल कारण गरीबी है।

अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पति ज्यादा हिंसा करते है इसी प्रकार 21 से 42 वर्ष उत्पीडक वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया।नसे के सन्दर्भ में पाया गया की पुरे होशोहवास में रहने वाले ज्यादा हिंसा करते हैं ,नगरीय सन्दर्भ में प्रथम प्राथमिकी दर्ज करवाने हेतु 60 प्रतिशत महिलाएं इसे स्वीकार करती हैं जबकि 40 प्रतिशत महिलाएं ऐसा नही चाहती हैं।इस तालिका से साफ पता चलता है की उत्पीडन का स्वरुप सर्वाधिक शारीरिक ही होता है जो 70 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता हैं की घरेलू हिंसा में पति के साथ साथ सास ,जेठानी ,नन्द ,देवर सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहतें हैं।

हिंसा के प्रमुख कारणों में दहेज की मांग, बाँझपन, शक करना ,चरित्र हननं, अहंकार, गरीबी और पारिवारिक दबाव तथा रूप रंग भी शामिल होता हैं।

इस समस्या के समाधान हेतु आवश्यक है की नगरीय क्षेत्रों में संचालित परिवार परामर्श केंद्र ,पुलिस थाने ,एन .जी .ओ .एवम वन स्टॉप सेंटर अपना कर्तव्य गंभीरता से और मुस्तैदी से करें ,इसके अलावा शिक्षा ,और पुरूष मानसिकता में परिवर्तन हेतु प्रयास ,काउंसलर सेंटर में वृद्धि करना जरूरी है ,स्वयम महिलाओं को भी मुखर होना पड़ेगा क्योकि खुद की लड़ाई स्वयम लड़ना होगा ,अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना होगा, समस्त कानून की जानकारी रखना होगा, महिलाओं को हमेशा सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा, अपने निर्णय स्वयम लेना होगा और सबसे पहले आर्थिक रूप से

सशक्त बनना होगा तभी सामाजिक सशक्तिकरण भी होगा अब समय की मांग है की महिलाये किसी भी प्रकार की हिंसा को सहन न करे ,उसके विरूद्ध आवाज उठाएं क्योकि आज के समय में भी महिलाये घरेलू हिंसा का शिकार बनती रहे, यह किसी भी सभ्य समाज ,समुदाय के लिए स्वीकार्य नही होना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. आहूजा ,राम ,भारतीय सामाजिक व्यवस्था ,रावत पब्लिकेशन्स दिल्ली।
2. आहूजा,राम, Crime Against Women,रावत पब्लिकेशंस ,जयपुर।
3. अग्रवाल ,अमित ,भारत में नगरीय समाज , विवेक प्रकाशन ,दिल्ली।
4. दैनिक भास्कर, मधुरिमा।
5. इन्टरनेट, द्रष्टि आई .ए .एस .घरेलू हिंसा यकारण और समाधान, मार्च 2020.

तालिका 1: सूचना दात्रियों की सामाजिक ,आर्थिक ,आयु ,शिक्षा ,उत्पीडन ,व्यसन सम्बन्धी जानकारी

क्र	सम्बन्धित परिवर्त्य	आवार्तियाँ / प्रतिशत	आवार्तियाँ /प्रतिशत		समस्त प्रतिशत
1	पारिवारिक हिंसा की स्थिति	पारिवारिक हिंसा से पीड़ित महिलाये 41 (82 %)	पारिवारिक हिंसा से मुक्त महिलाएं 09(18 %)	–	योग 50 (100%)
2	आर्थिक वर्ग	उच्च 09 (18%)	मध्यम 18 (36%)	निम्न 23 (46%)	50 (100 %)
3	उत्पीड़क आयु वर्ग	18–21 वर्ष =11 (22 %)	22 –42 वर्ष =37 (74%)	43 से अधिक =2 (4 %)	50 (100%)
4	पति का शैक्षणिक स्तर	प्राथमिक =26(52 %)	माध्यमिक /इंटर =20(40%)	उच्च शिक्षित =4 (8 %)	50 (100 %)
5	मध् व्यसनी	उच्च नशा 2 (4 %)	मध्यम नशा 17 (34 %)	होशोहवास (कोई नशा नहीं ,31 (62 %)	50 (100 %)
6	प्रथम प्राथमिकी दर्ज करवाना	हाँ =30 (60 %)	नही 20 (40 %)	–	50 (100 %)
7	उत्पीडन का स्वरुप/प्रकार	शारिरिक35 (70 %)	मानसिक 15 (30 %)	–	50 (100 %)

****